न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
47 / 2017 / प्रार्थना पत्र	23.03.2017	20.04.2017

उनवान

1– कंचन बेवा राधेश्याम ब्राम्हण निवासी खेड़ा हेतम तह0 फूलियाकलां
2–7 सुरेश, महेश, माया, सीता, मैना, किस्मत पिता राधेश्याम ब्राम्हण निवासी खेड़ा हेतम तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थीगण

बनाम

1– लादू पिता उगमा माली निवासी खेड़ा हेतम तह0 फूलियाकलां
2– रूघनाथ जी महाराज, नाबालिग सरपरस्त पुजारी द्वारका प्रसाद पिता मांगीलाल वैष्णव निवासी खेड़ा हेतम तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम खेड़ा हेतम पटवार हल्का सणगारी तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 6 आ0न0 28 / 604 रकबा 0.66 है0, आ0न0 219 रकबा 0.45 है0, आ0न0 220 रकबा 1.92 है0 कुल किता 03 रकबा 3.03 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है।अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी दिनांक 20.04.2017 को उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम खेड़ा हेतम पटवार मण्डल सणगारी संवत 2073 से 76 खाता संख्या 6 आ0न0 28 / 604 रकबा 0.66 है0, आ0न0 219 रकबा 0.45

है0, आ0न0 220 रकबा 1.92 है0 कुल किता 03 रकबा 3.03 है0 का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त आराजीयात मे आ0न0 28/604 रकबा 0.66 है0, किस्म पेटा प्रथम दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिबन्धित है। अतः उक्त आराजी को छोड़कर शेष आराजीयात किता 2 रकबा 2.37 है0 की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेड़ा हेतम पटवार हल्का सणगारी तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 6 आ0न0 219 रकबा 0.45 है0, आ0न0 220 रकबा 1.92 है0 कुल किता 02 रकबा 2.37 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 900/- (अक्षरे नो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा